राजीव गॉधी मैमोरियल राजकीय महाविद्यालय, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 तक

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। पूर्ण निपटारे हेतु विशेष पग उठाए जाये तथा निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन मे ंसम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैं।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/94 से 3/98

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (ख) 2	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क) 19, 21, 22	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ख) 3, 4	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (च) 3 से 7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2000

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2003

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 5/2006

1	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजीव गांधी मैमोरियल, राजकीय महाविद्यालय, जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी के छात्र निधि लेखाओं अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 तक का अंकेक्षण श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 20.9.12 से 26.10.12 व 3.12.12 से 2.1.2013 के दौरान सम्पन्न किया गया। विस्तृत जॉच हेतु आय के लिए माह 8/2006, 8/2007, 6/2008, 6/2009, 6/2010, 6/2011 तथा व्यय के लिये माह 7/2006, 10/2007, 12/2008, 12/2009, 10/2010, 12/2011 के लेखाओं का चयन किया गया, जिनके परिणामों को

आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अलावा समस्त अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्यों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य थे।

क्र0सं0	**नाम**	**पद**	**अवधि**
1	श्री एल0एम0 शर्मा	प्राचार्य	1.4.06 से 31.8.2006
2	श्रीमति मन्जुशा पठानिया	प्राचार्य	16.1.2007 से 26.3.08
3	श्री आर0पी0 ठाकुर	प्राचार्य	27.3.08 से 31.3.2012

अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया है स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

महाविद्यालय के लेखों अवधि 1.4.2006 से 31.'3.2012 का अंकेक्षण शुल्क ₹42000.00 बनता है। जिसका विवरण निम्न वर्णित है।

वर्ष	**कुल आय ₹ में**	**अंकेक्षण शुल्क ₹ में**
2006—07	1477403	7000
2007—08	1122699	7000
2008—09	1463783	7000
2009—10	1481077	7000
2010—11	2692855	7000
2011—12	2534335	7000
	कुल योग	**42000**

अनुभाग अधिकारी, कुल्लू वृत की अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन (ले0प0) एम0के कुल्लू 1/2013–876 दिनांक 1.1.2013 द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने का अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 312186 दिनांक 22.1.2013 द्वारा प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय स्थितिः–

(i) महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 तक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट (I) के पृष्ठ संख्या 1 से 5 पर दिया गया है।

(क) मिश्रित निधि की अवधि 1.4.06 से 31.3.2012 की रोकड़ वही व किये गये निवेश की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 को सावधि निवेश को एफ0डी0आर0 ₹675986.00 दर्शाया गया जबकि उपलब्ध करवाई गई सूचना/विवरणी के अनुसार यह सावधि निवेश ₹837036.00 पाया गया। यह अन्तर प्राप्त ब्याज में रोकड़ वही में लेखाबद्ध न किये जाने के कारण से था। पूर्व में प्राप्त ब्याज को रोकड़ वही में लेखांकित न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अविलम्ब लेखों में आवश्यक सुधार किया जाए।

(ख) विज्ञान निधि की रोकड़ वही अवधि 1.4.06 से 31.3.2012 व किये गये निवेश की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 को सम्बन्धित निवेश एफ0डी0आर0 संख्या 19505 के अन्तर्गत ₹313824.00 दर्शाया गया है जबकि अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई सावधि निवेश विवरणी में यह निवेश ₹251416.00 ही है। पाए गए अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक लेखाकरण किया जाए।

(ग) लाईब्रेरी निधि की रोकड़ वही अवधि 1.4.06 से 31.3.2012 व निधि से किये गये निवेशों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि रोंकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 को सावधि निवेश एफ0डी0आर0 संख्या 19506 के अन्तर्गत ₹209216.00 दर्शाया गया है जबकि अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना/विवरणी अनुसार यह निवेश ₹167411.00 ही दर्शाया गया है जिसमें ₹41805.00 का अन्तर है। पाए गए अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेखों में आवश्यक सुधार नियमानुसार किया जाए।

(ii) निवेशः–

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर महाविद्यालय के निधि लेखों अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 तक के दौरान विभिन्न निधियों से किये गये निवेशों का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट II में दिया गया है।

5 महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 तक के फीस जमा चालान व मुख्य रोकड़ वही का मिलान करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में फीस जमा करने की प्रविष्टियॉ मुख्य रोकड़ वही में नहीं पाई गई जिनकी छानबीन करने के उपरान्त कम पाई गई राशि को मुख्य रोकड़ वही मे लेखांकित किया जाये। अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

चालान सं0	**दिनांक**	**विवरण**	**राशि ₹**
15	2.2.10	फीस	2100
8	4.2.10	फीस	650
2	16.7.10	फीस	51045
15	16.2.10	फीस	500
2	5.2.11	फीस	300
6	1.8.11	फीस	400
7	1.11.11	फीस	100
4	1.3.12	फीस	100
		कुल योग	**₹55195**

इसके अतिरिक्त समय–2 पर सरकारी कोष में जमा करवाई गई राशियों का मिलान सरकारी कोष के साथ आवश्यक विवरण प्राप्त करके नहीं किया गया। आवश्यक कोष विवरणी प्राप्त करके जमा करवाई गई राशियों का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए।

6 छात्र निधि लेखों अवधि 1.4.06 से 31.3.12 की कम्पयूटराईज्ड फीस व निधि वसूली रसीदों की फीस की निधि संग्रह रजिस्टर से दानबीन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों की प्रविष्टियों को बिना कोई कारण दर्ज किये रजिस्टर में निरस्त किया गया है। अतः इन रसीदों को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए ही निरस्त करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुचित प्रकार से निरस्त की गई रसीदों में प्राप्त दर्शाई गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सत्यापित करवाया जाए व इन छात्र/छात्राओं से किस तिथि रसीद संख्या द्वारा प्राप्तियां की गई है।

क्र0सं0	रसीद सं0	सत्र	फीस व निधि संग्रह रजिस्टर पृ0सं0	छात्र का नाम	कक्षा	राशि ₹
1	662	2011—12	82	मीना कुमारी	B.A. I	1319
2	733	2011—12	85	प्रिया ठाुकर	B.A. II	991
3	747	2011—12	86	अनिता देवी	B.A. III	1024
4	949	2011—12	95	रीता ठाकुर	B.Sc. Med I	1899
5	1193	2011—12	7	रेशमा देवी	B.A. II	1364
6	1366	2011—12	14	दिनेश कुमार	B.A. II	1384
7	1370	2011—12	14	पूजा देवी	B.A. III	1264
8	1392	2011—12	15	संतोष कुमारी	B.A. I	1209

7 महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 के अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय में छात्रों से निम्नलिखित छात्र निधियों को अनियमित प्रकार से वसूला गया जब कि हिमाचल प्रदेश पत्र संख्या ई0डी0एन0—ए—ख 8/1/—2001 दिनांक 1.6.2010 में इन निधियों को वसूलने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः छात्रों से अनाधिकृत रूप से छात्र निधियों को वसूलने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

क्र0 सं0	निधि का नाम	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	योग
1	सोसाईटी कलब	6310	5755	7145	7605	8700	9325	44840
2	गार्डन निधि	13875	11510	14560	15450	18410	19800	93605
							योग	**138445**

महाविद्यालय में ₹138445.00 की वसूली अनाधिकृत प्रकार से किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित जांच व कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

8 अंकेक्षण के दौरान महाविद्यालय के लेखों अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय में कैम्पस डेवलपमैन्ट फण्ड को छात्रों से वर्ष 2011–12 से वसूला गया जबकि उक्त निधि को वर्ष 2006–07 से वसूला जाना था। अतः निधि की वसूली 2006–07 से 2010–11 तक न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व कम वसूली गई राशि की गणना अपने स्तर पर करके राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए। भविष्य में छात्र निधियों नियमानुसार उचित प्रकार से ली जानी सुनिश्चित की जाए।

9 परीक्षा निधि वाऊचर संख्या 37 माह 12/09 ₹11100.00 का भुगतान बिल संख्या 302 दिनांक 12.11.09 द्वारा मै0 बम्वाल आफसैट प्रिंन्टर जोगिन्द्रनगर से उतरपुस्तिकाओं की खरीद करने पर किया गया अभिलेख की जॉच करने पर उपरोक्त बिल की वास्तविक भुगतान योग्य राशि ₹11010.00 पाई गई अतः ₹90.00 की अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

10 <u>रोबर एवं रैन्जर निधिः–</u>

वोचर संख्या 9 माह 10/2010 ₹12000/–रोबर एवं रेन्जर निधि से किये गये अग्रिम भुगतान ₹12000.00 के समायोजन वाऊचरों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि घुमारवीं, जिला बिलासपुर में रोबर एवं रेन्जर के आयोजित कैम्प में भाग लेने के लिये

छात्रों के साथ गये निम्नलिखित प्रवक्ताओं को यात्रा भत्ता भुगतान बिल के साथ होटल में ठहरने के व्यय का भुगतान भी कर दिया गया था जबकि वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) (बी) (7) 14/98 दिनांक 8.12.1998 के पैरा 5 (1) (3) के अनुसार उक्त व्यय का भुगतान देय नहीं था। अतः भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके राशि निधि लेखा में जमा करवाई जाये व अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

क्र0सं0	नाम	यात्रा भत्ता दावा बिल ₹	होटल बिल ₹	वसूली योग्य राशि ₹
1	श्रीमती दीप्ती कौशल	1220.00	770.00	770.00
2	श्री विवेका नन्द शर्मा	1110.00	660.00	660.00

11 मिश्रित निधिः—

वाऊचर संख्या 1072 माह 10/2010 ₹20000.00 मिश्रित निधि से माह 10/2010 के दौरान किये गये अग्रिम भुगतान ₹20,000.00 के समायोजन वाऊचरों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में आयोजित यूवामहोत्सव में भाग लेने के लिये छात्रों के साथ गये प्रवक्ता व तबला वादक को यात्रा भत्त बिल के साथ श्री अग्रवाल सभा, लक्ष्मी नरायन मन्दिर शिमला में ठहरने के व्यय का भुगतान भी कर दिया गया है जबकि वित विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) (बी) (1) 14/98 दिनांक 8.12. 1998 व 2.6.2006 के पैरा 5 (3) के अनुसार उक्त व्यय की भरपाई सरकारी/अर्धसरकारी गेस्ट हाऊस में जगह न मिलने के फलस्वरूप केवल व्यवसायिक होटल में ठहरने पर ही हो सकती है। अतः अनुचित प्रकार से किये गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	नाम	यात्रा भत्ता दावा बिल	ठहरने का बिल ₹	वसूली योग्य राशि ₹
1	डा0 सुरेन्द्र कुमार	1559.00	800.00	800.00
2	श्री रमेश कुमार	1474.00	800.00	800.00

12 मिश्रित निधि से समायोजन वाऊचर संख्या 660 माह 10/07 ₹30000.00 तथा समायोजन वाउचर संख्या 1193 माह 12/2011 ₹20000.00 द्वारा छात्रों को विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में नाटक मंचन के लिये प्रशिक्षण देने हेतु श्री वेतन ठाकुर व श्री जय कुमार को ₹पॉच–पॉच हजार का भुगतान किया गया। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य के लिये उचित प्रक्रिया एवं औपचारिकताऐं नहीं अपनाई गई। अतः बिना औपचारिकताओं के उपरोक्त राशि का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13 <u>मिश्रित निधि वाउचर संख्या 484 माह 7/2006</u>

₹285000 की राशि का भुगतान कम्पयूटर की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक विकास निगम, शिमला को कियश गया उपरोक्त खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि सखम अधिकारी की स्वीकृति अभिलेख में नहीं पाई गई अतः उपरोक्त कम्पयूटर की खरीदने की सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके व्यय की राशि का नियमित करण किया जाना सुनिश्चि करें।

14 <u>बुक रिपलेसमैन्ट निधि वाऊचर संख्या 2 माह 10/2010 ₹1114.00</u>

₹1114.00 का भुगतान बुक रिपलेसमैन्ट निधि से पुस्तकों की खरीद मै0 किरण ट्रेडर जोगिन्द्रनगर से बिल संख्या 972, 973 दिनांक 9.9.10 द्वारा करने पर किया गया उपरोक्त वाउचर की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि फर्म द्वारा पुस्तकों की खरीद पर 11% छूट दी गई है जबकि महाविद्यालय को पुस्तकों की अन्य खरीद पर 16% छूट दी गई थी अतः पाठय पुस्तकों पर विक्रेता फर्म द्वारा निम्न विवरणानुसार छूट न देने के कारण ₹473.00 अधिक व्यय किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

बिल सं0	दिनांक	कुल भुगतान	छूट	भुगतान की गई राशि	प्रस्तावित छूट 16%	अन्तर
972	9.9.10	6080	669	5411	973	304
973	9.9.10	6945	942	6003	1111	169
				11414	**कुल योग**	**473**

15 विभिन्न निधियों के लेखा अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 के अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में भुगतान की गई राशि के एवज में सम्बन्धित संस्थाओं/फर्मों से वास्तविक भुगतान रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी जिन्हें प्राप्त करके अभिलेख में लगाया जाये तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

निधि का नाम	वोचर सं0	माह	फर्म/संस्था का नाम	राशि ₹
यूनिवर्सटी निधि	131	10/2010	वित अधिकारी हिमाचल प्रदेश वि0वि0	36093
लाईब्रेरी निधि	97	12/08	मै0 नरेन्द्र बुक स्टॉल मण्डी	14588
लाईब्रेरी निधि	150	12/09	मै0 नरेन्द्र बुक स्टॉल मण्डी	22907
मिश्रित निधि	645	10/07	मै0 डाटसन्ज शिमला	10809
मिश्रित निधि	646	10/07	मै0 लाल दत्ता स्पोर्टस शिमला	12330
मिश्रित निधि	647	10/07	मै0 मोहित स्पोर्टस कोर्नर जोगिन्द्र नगर	13634
मिश्रित निधि	648	10/07	मै0 अमित स्पोर्टस शिमला	29890
मिश्रित निधि	649	10/07	मै0 वारियार शिमला	11229
मिश्रित निधि	659	10/07	मै0 नरेन्द्र बुक स्टॉक मण्डी	60490

16 महाविद्यालय के रसीदों के स्टॉक रजिस्टर अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 की प्रविष्टियों की छानबीन करने पर पाया गया कि रसीद बुकों की कुल मात्रा को ही दर्ज किया गया था। रसीदों की क्रम संख्या का न तो प्रविष्टि करते समय ब्यौरा दिया गया और न ही रसीदों को सत्र अनुसार जारी/प्रयोग करने का क्रमवार विवरण दिया गया। फलस्वरूप कौन सी रसीद किस प्रयोजन/सत्र हेतु जारी की गई का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख का क्रमवार प्राप्ति व सत्र अनुसार निर्गमन ब्यौरा न रखने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये रसीदों का उचित अभिलेख रखा जाये। अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

17 निवेश रजिस्टर का सही ढ़ंग से रख रखाव नहीं करनाः–

महाविद्यालय के निधि लेखों अवधि 1.4.2006 से 31.3.2012 के दौरान विभिन्न निधियों से किये गये दीर्धकालीन निवेशों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निवेश रजिस्टर का सही ढ़ंग से अनुरक्षण नहीं किया गया। निवेश रजिस्टर में दर्ज की गई विभिन्न अवधियों की प्रविष्टियों से संपरीक्षाधीन अवधि में निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज व परिपक्वता तिथि बारे सही ब्यौरा प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा उचित प्रकार से जांच भी नहीं की जा सकी। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व विभिन्न निधियों से निवेशित राशि का निवेश रजिस्टर में अलग–2 खाता स्वतः स्पष्ट रूप में रखा जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

18 आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 निष्कर्षः– महाविद्यालय के लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) xi(xi) 283/2000, खण्ड–2 दिनांक, शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. प्राचार्य, राजीव गॉधी मैमोरियल, राजकीय महाविद्यालय, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस संचयिका अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।
2. निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001.
3. उप निदेशक, शिक्षा विभाग, मण्डी जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.